बृजेश यादव,
निदेशक,

महत्वपूर्ण

दूरभाषः 2237604 (का0)

अ0शा0प0सं0– 252 /01/प्रा0र0मू0प्र0/2025

व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान,उत्तर प्रदेश
628, योजना भवन, लखनऊ।

दिनॉक : 21 अगस्त, 2025

आदरणीय महोदय/महोदया,

कृपया व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.08.2025 में निम्नलिखित विषयों पर विचार–विमर्श कर अध्यक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा कतिपय निर्देश दिये गये हैं।

अन्य बिन्दु–(1) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में निर्माण कैम्पस के अन्तर्गत मिट्टी भराई के सम्बन्ध में।

अन्य बिन्दु –(2) प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों में यूटीलिटी शिफ्टिंग, (विद्युत लाइन शिफ्टिंग पाइप एवं सीवर लाइन शिफ्टिंग, पेड़ कटान एवं रेलवे के कार्य हेतु लागत के सम्बन्ध में।

अन्य बिन्दु –(3) शासकीय भवनों का निर्माण उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण, भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स–2025 के अनुसार कराये जाने के सम्बन्ध में।

अन्य बिन्दु –(4) ऑडिटोरियम, बहुउद्देशीय भवनों, स्टेडियम्स, बारातघर, कन्वेन्शन सेंटर, स्पोर्ट्स फैसेलिटीज, गेस्ट हाउस, टूरिस्ट फैसेलिटीज, बहुमंजिला पार्किंग, तरणताल **(Swimming Pool)** एवं मिश्रित उपयोग इत्यादि इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण सम्बन्धी प्रायोजना पी0पी0पी0 मोड में कराये जाने के सम्बन्ध में।

बैठक के उक्त बिन्दुओं के कार्यवृत्त संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर,

भवदीय,
21.08.2025
(बृजेश यादव)

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/प्रमुख अभियंता समस्त कार्यदायी संस्थाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

कोड 13/11–08–2025 (25–26)

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11–08–2025 का कार्यवृत्त

अन्य बिन्दु–1

विषयः– प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में निर्माण कैम्पस के अन्तर्गत मिट्टी भराई के सम्बन्ध में।

1– व्यय वित्त समिति को अवगत कराया गया कि व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.03.2010 में यह निर्णय लिया गया था कि यदि किसी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में मिट्टी भराई की आवश्यकता पड़ती है तो सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें सदस्य के रूप में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एवं निर्माण एजेन्सी तथा सदस्य सचिव के रूप में प्रशासकीय विभाग के स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि रहेंगे। इस समिति द्वारा अनुमोदित कन्टूर मैप एवं मिट्टी की मात्रा तथा मिट्टी भराई हेतु निर्माण स्थल से दूरी आदि सत्यापित कर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके दृष्टिगत मिट्टी भराई मद में प्रस्तावित धनराशि को अनुमन्य किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में मिट्टी भराई हेतु धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

2– व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.01.2014 में प्रस्तर–1 में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता का कार्यालय न होने के कारण मिट्टी भराई हेतु निर्धारित अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में उपर्युक्त समिति के गठन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उक्त को संज्ञान में लेते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रू0 50.00 लाख एवं इससे कम लागत की मिट्टी भराई हेतु अधिशासी अभियंता को उक्त तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाये जाने तथा रू0 50.00 लाख से अधिक लागत की मिट्टी भराई हेतु अधीक्षण अभियन्ता को तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाने के साथ प्रस्तर–1 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।

3– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–10/2021/बी–2–96/दस–2021–10/77 दिनांक 22.03.2021 के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि व्यय वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त/पूर्व में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त निर्माण स्थल के कन्टूर प्लान के साथ–साथ थ्री डायमेन्शनल मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज अवश्य संलग्न की जाये, परन्तु व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में पूर्ण रूप से उक्त शासनादेश का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि प्रायोजना प्रस्तावों/आगणन में मिट्टी भराई हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.03.2010 (प्रस्तर–1) एवं दिनांक 29.01.2014 (प्रस्तर–2) में दी गयी व्यवस्था एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–10/2021/बी–2–96/दस–2021–10/77 दिनांक 22.03.2021 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में मिट्टी भराई मद में कोई भी धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(कार्यवाहीः समस्त प्रशासकीय विभाग, उ0प्र0 शासन/तकनीकी सेल ई0पी0सी0 मिशन/लोक निर्माण विभाग/समस्त राजकीय कार्यदायी संस्थाएं)

14.8.2025
(बृजेश यादव)
निदेशक, पी0एफ0ए0डी0
सदस्य–संयोजक

(सी0पी0 गुप्त)
मुख्य अभियंता (भवन),
लो0नि0वि0–सदस्य

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11–08–2025 का कार्यवृत्त

अन्य बिन्दु –2

विषयः– प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों में यूटीलिटी शिफ्टिंग, (विद्युत लाइन शिफ्टिंग पाइप एवं सीवर लाइन शिफ्टिंग, पेड़ कटान एवं रेलवे के कार्य हेतु लागत के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया है कि प्रायः यह देखने में आया है कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हो रहे प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों में विभिन्न प्रकार की यूटीलिटी शिफ्टिंग हेतु एकमुश्त लागत प्रावधान किये जा रहे है। जिसके कारण प्रायोजनाओं के पुनरीक्षण एवं आवश्यकता से अधिक लागत अनुमन्य किये जाने की सम्भावना बनी रहती है तथा प्रायोजनाओं में टाइम एवं कास्ट ओवररन की स्थिति भी उत्पन्न होती है। उक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा निम्नवत् निर्देशित किया गया :–

(1) मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं रेल उपरिगामी/सेतु निर्माण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों में यूटीलिटी शिफ्टिंग मद यथा– विद्युत लाइन शिफ्टिंग (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0), वृक्षों का पातन/रोपण (वन विभाग), सीवर एवं वाटर सप्लाई लाइन शिफ्टिंग (उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम) एवं रेलवे से सम्बन्धित शिफ्टिंग इत्यादि हेतु सम्बन्धित विभागों के सक्षम स्तर से परीक्षित एवं अनुमोदित विस्तृत आगणन प्रायोजना प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायेगें। यूटीलिटी शिफ्टिंग सम्बन्धी उक्त कार्यों के प्रस्तावों/आगणनों का लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था के मुख्यालय स्तर पर परीक्षण कर प्रति हस्ताक्षरित भी किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में व्यय वित्त समिति/पी0एफ0ए0डी0 द्वारा भविष्य में कोई भी धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(2) भवनों के निर्माण हेतु चिन्हित/आवंटित निर्माण स्थल पर यदि किसी प्रकार की यूटीलिटी शिफ्टिंग की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो यूटीलिटी शिफ्टिंग सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्धित विभागों के सक्षम स्तर से गठित/अनुमोदित विस्तृत आगणन प्रायोजना के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायेगें तथा इनका परीक्षण कार्यदायी संस्था के मुख्यालय स्तर पर भी किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में व्यय वित्त समिति/पी0एफ0ए0डी0 द्वारा भविष्य में कोई भी धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(3) सीवरेज, ड्रेनेज एवं जलापूर्ति सम्बन्धी प्रायोजनाओं में यूटीलिटी शिफ्टिंग हेतु व्यवस्था उपर्युक्त बिन्दु–2 के अनुसार ही सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाहीः समस्त प्रशासकीय विभाग, उ0प्र0 शासन/राजकीय कार्यदायी संस्थाएं)

14.08.2025

(बृजेश यादव)
निदेशक, पी0एफ0ए0डी0
सदस्य–संयोजक

(सी0पी0 गुप्त)
मुख्य अभियंता (भवन),
लो0नि0वि0–सदस्य

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति

कोड- 13/11.08.2025(25-26)

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.08.2025 का कार्यवृत्त

अन्य बिन्दु-3

विषय- शासकीय भवनों का निर्माण उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण, भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के अनुसार कराये जाने के सम्बन्ध में।

समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा व्यय वित्त समिति की बैठकों में बहुमंजिला शासकीय भवनों यथा- कार्यालय भवनों, शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, वाणिज्यिक श्रेणी के भवनों तथा ऑडिटोरियम इत्यादि के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव/आगणनों का गठन उपलब्ध कराये गये भूमि क्षेत्रफल के आधार पर मानक/अनुमन्य एफ0ए0आर0 को Exhaust न करते हुए प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसके कारण उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं हो पाता है। उक्त के दृष्टिगत व्यय वित्त समिति द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः-

1- शासकीय भवनों का निर्माण आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश सं0- 1323/2025/8-3099/208/2025 दिनांक 04 जुलाई, 2025 के द्वारा निर्धारित किये गये मानकों के आधार पर भवन निर्माण सम्बन्धी प्रायोजनाओं के प्रस्ताव/आगणन इस प्रकार गठित किये जायें कि प्रायोजना हेतु उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल हेतु अनुमन्य एफ0ए0आर0 का अधिकतम उपयोग सम्भव हो।

2- प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु यदि कार्यालय/अन्य भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तथा उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल का अधिकतम एफ0ए0आर0 के आधार पर अनुमन्य क्षेत्रफल विभाग की आवश्यकता से अधिक होता है, तो उस स्थिति में भी प्रशासकीय विभाग द्वारा अधिकतम क्षेत्रफल पर ही भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा तथा आवश्यकता से अधिक प्रस्तावित/निर्मित क्षेत्रफल का उपयोग किसी अन्य प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यालय/अन्य उपयोग हेतु अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के उपयोग हेतु किया जा सकता है। उक्तानुसार प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव/आगणन के गठन के समय ही इसकी परिकल्पना/प्लानिंग कर ली जायेगी।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित निर्मित होने वाले शासकीय भवनों में व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों से प्राप्त आय को प्रशासकीय विभाग द्वारा भवनों के अनुरक्षण इत्यादि पर व्यय किया जायेगा, जिससे शासकीय भवन Self-Sustainable सम्भव हो सकेंगे।

(कार्यवाहीः समस्त प्रशासकीय विभाग, उ0प्र0/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0/ तकनीकी सेल ई0पी0सी0 मिशन, सम्बन्धित राजकीय निर्माण एजेन्सियां)

14.08.2025

(बृजेश यादव)
निदेशक, पी0एफ0ए0डी
सदस्य- संयोजक

(सी0पी0 गुप्त)
मुख्य अभियंता (भवन),
लो0नि0वि0- सदस्य

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति

कोड- 13/11.08.2025(25-26)

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.08.2025 का कार्यवृत्त

अन्य बिन्दु-4

विषय- ऑडिटोरियम, बहुउद्देशीय भवनों, स्टेडियम्स, बारातघर, कन्वेन्शन सेंटर, स्पोर्ट्स फैसेलिटीज़, गेस्ट हाउस, टूरिस्ट फैसेलिटीज़, बहुमंजिला पार्किंग, तरणताल (Swimming Pool) एवं मिश्रित उपयोग इत्यादि इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण सम्बन्धी प्रायोजना पी0पी0पी0 मोड में कराये जाने के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया कि विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा विषयगत इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। समिति की बैठकों में विषयगत प्रायोजना प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के उपरान्त यह उभर कर आया है कि इस प्रकार के अधिकांश इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी प्रायोजनाओं का शासकीय उपयोग बहुत ही सीमित समय के लिये किया जाता है तथा जनसामान्य हेतु उक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाता है। सम्यक विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः-

1- प्रशासकीय विभागों द्वारा ऑडिटोरियम, बहुउद्देशीय भवनों, स्टेडियम्स, बारातघर, कन्वेन्शन सेंटर, स्पोर्ट्स फैसेलिटीज़, गेस्ट हाउस एवं मिश्रित उपयोग इत्यादि इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी प्रायोजनाओं का निर्माण/संचालन/अनुरक्षण (Construction, Operation & Maintenance) प्राथमिकता के आधार पर पी0पी0पी0 मोड में ही कराये जायें, जिससे निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर Self-Sustainable हो सके।

2- प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा विषयगत प्रायोजनाओं के प्रस्ताव/आगणन के गठन के प्रारम्भ में ही इसकी परिकल्पना/प्लानिंग पी0पी0पी0 मोड में किये जाने हेतु समस्त प्रावधान एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जायें।

3- प्रायोजनाओं का पी0पी0पी0 मोड पर निर्माण/संचालन/अनुरक्षण हेतु यथाउपयुक्त पी0पी0पी0 पार्टनर का चयन कर प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन के गठन के प्रारम्भ में ही आबद्ध कर लिया जाये।

4- प्रशासकीय विभागों द्वारा व्यय वित्त समिति की बैठकों में पूर्व अनुमोदित/निर्माणाधीन/निर्मित प्रायोजनाओं का भी संचालन/अनुरक्षण पी0पी0पी0 मोड पर कराये जाने हेतु यथासम्भव प्रयास किये जायें। उक्त हेतु यदि किसी प्रायोजना में परिवर्तन/परिवर्धन की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो इस स्थिति में संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन को व्यय वित्त समिति/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के विचारार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाहीः समस्त प्रशासकीय विभाग, उ0प्र0/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0/ तकनीकी संत ई0पी0सी0 मिशन, सम्बन्धित राजकीय निर्माण एजेन्सियां)

14.8.2025

(बृजेश यादव)
निदेशक, पी0एफ0ए0डी
सदस्य- संयोजक

(सी0पी0 मुक्त)
मुख्य अभियंता (भवन),
लो0नि0वि0- सदस्य

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति